न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील/31/2019 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

लोचन सिंह पुत्र बाबूलाल जाति लोधा निवासी खेरिया बिल्लोच तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 09.05.19 मिसिल नम्बर 03/18 उनवानी राज0 रिपोर्ट पटवारी हल्का मिल्सवा बनाम लोचनसिंह अन्तर्गत धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1–श्री गोविन्द सिंह डांगुर अभिभाषक अपीलान्ट,
2–राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 27.10.2020**

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार रूपवास की आज्ञा दिनांक 09.05.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून है जो काविल निरस्तनीय है। तहत न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया है कि आराजी खसरा नम्बर 594 रकवा 8.17 बीघा आवादी क्षेत्र में स्थित है इसलिये पटवारी हल्का को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। आवादी क्षेत्र में स्थित समस्त भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आती है और उसके सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही ग्राम पंचायत ही कर सकती है। अपीलान्ट ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर

आराजी खसरा नम्बर 594 में किसी रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट का मकान खसरा नम्बर 586 पर बना हुआ है। अपीलान्ट ने मकान के लिये 3 बिस्वा का भूखण्ड हाकिम सिंह पुत्र पातीराम जाति लोधा निवासी खेरिया बिल्लोच से 97500/- रूपय में अपनी पत्नी श्रीमती राजश्री के नाम से दिनांक 16.11.2015 को खरीदा था और तभी से अपीलान्ट का परिवार उसमें रह रहा है। हल्का पटवारी ने खसरा नम्बर 594 रकवा 6.17 बीघा की न तो पैमाईश की और न ही नक्शा बनाया है पटवारी ने महज कयास के आधार पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यदि पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 594 की पैमाईश की जाती है तो यह पूरी तरह सावित हो जाता है कि अपीलान्ट का मकान खसरा नम्बर 586 पर बना हुआ है और उसमें कोई अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट के माकन के पास स्थित रास्ते की चौडाई भी अंकित नही की है जबकि 30 फुट है जिससे किसी को भी आवागमन में कोई व्यवधान पैदा नहीं होता है। गांव के रास्ते एवं पगड्डी जो पूर्वजो के समय से ही चले आ रह है आज भी उसी स्थिति में मौजूद है इसलिये अपीलान्ट द्वारा किसी भी अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलान्ट के विरोधियों एवं उससे रंजिश रखने वाले व्यक्तियों जो कि प्रभावशाली व्यक्ति है के द्वारा की गई गलत शिकायत के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध यह कार्यवाही बिना किसी आधार के की गई है जबकि अपीलान्ट एक गरीब एवं अशिक्षित और सीधा साधा व्यक्ति है। वास्तविक अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति जो कि प्रभावशाली और लठैत है के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बिना पैमाईश और क्षेत्राधिकार से बाहर की गई कार्यवाही खिलाफ कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है जो काविल मंसूखी है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2019 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार रूपवास से तहत पत्रावली प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट का मकान आराजी खसरा नम्बर 586 पर बना हुआ है। खसरा नम्बर 594 गैर मुमकिन रास्ता है जिसमें रास्ता निकाला हुआ और आवागमन जारी है। लोचन सिंह के मकान से लगा हुआ खसरा नम्बर 594 पर वर्ष 2017–2018 में मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत मिल्सवां ने 24 फुट चौडी सडक का निर्माण कराया है जिसमें से 12 फुट चौडाई में ग्रेवल सडक हो रही है। अपीलान्ट के द्वारा खसरा नम्बर 594 पर अतिक्रमण नहीं किया है। तहत न्यायालय ने बिना पैमाईश किये निर्णय पारित किया है जबकि ग्राम बासियों ने पैमाईश कराने हेतु महजरनामा तहसीलदार को प्रस्तुत किया जिस पर तहत कार्यालय ने कोई कार्यवाही नहीं की है। तहत न्यायालय ने हल्का पटवारी के बयान भी नही लिये है और न ही अपीलान्ट को जिरह करने का मौका दिया गया है। वकील अपीलान्ट ने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.डी. 1996 पेज 525, आर.आर.डी. 1989 पेज 269, आर.आर.डी. एन.यू.सी. पेज 66 एवं डी.एन.जे. राज. 2011 (3) पेज 1052 उद्धरित की गई। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2019 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाप उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(राज.)

आपत्ति की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहत न्यायालय ने बिना पैमाईश कराये एवं हल्का पटवारी के बिना बयान कराये तथा अपीलान्ट को जिरह का मौका दिये बगैर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर वर्ष 2017–2018 में ग्राम पंचायत मिल्संवा ने मनरेगा योजनान्तर्गत 24 फुट चौडी सडक का निर्माण कार्य कराया है जिसमें से 12 फुट चौडी ग्रेवल सडक का निर्माण कराने बाबत ग्राम पंचायत मिल्संवा का प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र वकील अपीलान्ट ने फार्म नम्बर 3 के साथ वक्त सुनवाई प्रस्तुत किये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार रूपवास को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रूपवास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये तथा प्रकरण में जांच एवं पैमाईश कराकर नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर